न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2016 पुनरीक्षण

1. मंजीत सिंह पुत्र लाखन सिंह ना.बा.
   सरपरस्त पिता लाखन सिंह रावत पुत्र दौलत सिंह रावत निवासी ग्राम खेड़ा तहसील भितरवार जिला– ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती कैलाशी पत्नी ठाकुरदास पुत्री दौलत सिंह निवासी ग्राम भदौना हाल निवास खेड़ा भितरवार
2. शिव सिंह पुत्र दौलत सिंह निवासी ग्राम खेडा तह. भितरवार जिला ग्वालियर
3. महादेवी पत्नी लाखन सिह पुत्री दौलत सिंह निवासी ग्राम देवरीकला हॉल निवास खेडा भितरवार
4. शकुंतला पत्नी अयोध्या रावत पुत्री दौलत निवासी ग्राम बसई हाल निवास खेडा भितरवार तहसील भितरवार जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा प्र.कं. 24/15–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.07.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3091–पीबीआर/16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–2–2017	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक एवं अनावेदकगण की ओर से श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के विद्वान के विद्वान अभिभाषकों को सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 21–7–2016 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने आगामी आदेश तक के लिए स्थगन जारी किया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत एक बार में तीन माह से अधिक अवधि के लिए स्थगन जारी नहीं किया जा सकता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी उक्त स्थगन दिनांक 21–10–2016 को स्वतः समाप्त होकर निष्प्रभावी हो गया है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	